

Order Sheet [Contd]

Case No. 21 ... of 20 15 MOR

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
<p>प्रकरण थाना गोहद चौराहा से रिपोर्ट प्रस्तुति एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक-12/01/2017 को पेश हो।</p> <p>शासन द्वारा ए.जी.पी. श्री बघेल उपस्थित (आर्य) अनावेदक जमानतदार शिवनारायण सहित श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित। गोहद, भिण्ड, म.प्र.</p> <p>पुलिस थाना गोहद चौराहा से आरोपी गणेशपाल उर्फ सुधीरसिंह पुत्र रामवीरसिंह तोमर, उम्र 30 साल, निवासी सिलावली थाना नगरा मुरैना का जारी स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट भी फौत होने की टीप के साथ अदम प्राप्त, जिसके साथ आरोपी का मृत्यु प्रमाणपत्र पेश किया है, जिसपर विश्वास करते हुए आरोपी गणेशपाल उर्फ सुधीरसिंह को मृत होना माना जाता है।</p> <p>उक्त एम.जे.सी. प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने गये।</p> <p>प्रकरण आदेश हेतु थोड़ी देर बाद पश्चात पेश हो।</p> <p>(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, भिण्ड, म.प्र.</p> <p>पुनश्च— शासन द्वारा ए.जी.पी. श्री बघेल उपस्थित। अनावेदक जमानतदार शिवनारायण सहित श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>उक्त एम.जे.सी. प्रकरण, जमानतदार की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं जवाब के समर्थन में आरोपी के मृत्युप्रमाणपत्र अवलोकन से विदित है कि अनावेदक जमानतदार के द्वारा थाना गोहद चौराहा के प्रकरण क्र. -32/2009 (नवीन नंबर-38/2015) डकैती में आरोपी गणेशपाल उर्फ सुधीर को आदेश दिनांक-16/05/2013 के पालन में 50000 रुपये की जमानत प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रखने की शर्तों के साथ दी गयी थी, किन्तु</p>	<p>Signature of Parties or Pleaders where necessary</p>

पि.जे. शिवनारायण



पि.सी. आर्य

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

दिनांक-24/02/2015 को आरोपी के अनुपस्थित हो जाने से उसके जमानत मुचलके जब्त किए गये थे। इस तरह से अनावेदक जमानतदार आरोपी गणेशपाल उर्फ सुधीर को नियमित रूप से प्रकरण में उपस्थित रखने में असफल रहा है और आरोपी के अनुपस्थित हो जाने के कारण जमानत मुचलके निरस्त किए जाकर धारा-446 द.प्र.स. के तहत नोटिस जारी कर अनावेदक जमानतदार के विरुद्ध प्रथम से एम.जे.सी. पंजीबद्ध करने और जमानत राशि वसूली का नोटिस जारी करने हेतु कार्यवाही की गयी, किन्तु आरोपी गणेशपाल उर्फ सुधीर के दिनांक-09/06/2015 को फौत हो जाने से वह अनुपस्थित हुआ है, जिसकी सूचना अनावेदक जमानतदार न्यायालय को अवश्य नहीं दे सका है। किन्तु अनावेदक जमानतदार भी प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रखने में असफल रहा है, जबकि उसका उत्तरदायित्व था कि वह यह सुनिश्चित करे कि जिस आरोपी की उसके द्वारा जमानत दी गयी है, वह प्रत्येक पेशी पर नियमित रूप से उपस्थित होता रहा है अथवा नहीं और जमानत की शर्तों का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, ऐसे में अनावेदक जमानतदार बिना मुचलका राशि के जब्त किए क्षमा किए जाने योग्य नहीं है। किन्तु आरोपी गणेशपाल उर्फ सुधीर के फौत हो जाने को देखते हुए अनावेदक जमानतदार के प्रति कुछ उदारता का दृष्टिकोण अपनाया जाना उचित व न्याय संगत होगा।

अनावेदक जमानतदार के द्वारा दिये गये कथन में भी क्षमा याचना की है, अतः प्रकरण की परिस्थितियों और जमानतदार की स्थिति को देखते हुए उसके द्वारा दी गयी 50000 रुपये की जमानत राशि में से 1000/-रुपये (एक हजार रुपये) राजसात किए जाते हैं, शेष राशि माफ की जाती है और आदेशित किया जाता है कि राजसात राशि अनावेदक जमानतदार अबिलंब विधिवत जमा करे। अन्यथा उसे 15 दिवस का सिविल कारावास भुगताये जाने हेतु जेल वारण्ट तैयार कर जेल भेजा जावे।

परिणाम पंजी में दर्ज किया जाकर नस्तीबद्ध कर अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, भिण्ड, म.प्र.

पुनः 2 नवम्बर 2015 को न्यायाधीश के आदेश के अनुसार पंजी में दर्ज किया जावे।
20/12/15
20/12/15

पी. सी. आर्य

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)